उनवानः– राजहंस बनाम तहसीलदार

मु0न0:– 92/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 92/2023 रजू दिनांकः– 04.07.2023

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

राजहंस पुत्र सुरज्ञान गूर्जर निवासी लपावली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
प्रतिवादीगण

दावा बावत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः–27.01.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लपावली की आराजी ख0न0 1311/0.26, 849/0.16, 886/0.09 कुल किता 3 कुल रकवा 0.51 है0 मे वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 919/1455/0.29 है0 मे वादी 1/58 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 889/0.10 है0 मे वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 86/1594/0.01 मे वादी 1/33 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम राजहंस पुत्र सुरज्ञान है जो कि आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजात मे दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे वर्णित भूमि मे हंसराम पुत्र सुरज्ञान दर्ज है। तथा ख0न0 86/1594 रकवा 0.01 है0 मे हंसराज पुत्र सुरज्ञान दर्ज है। जोकि गलत है जबकि वादी का सही नाम राजहंस पुत्र सुरज्ञान गूर्जर निवासी लपावली है जो कि वादी के दस्तावेजात से भली भाती साबित है।

बॉका दिनांक 26.06.2023 को वादी तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकार्ड मे हुई गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदारजी टोडाभीम ने राजस्व रिकार्ड मे हुई गलती को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादी से न्यायालय मे कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह दावा श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी इन्द्राज डिक्री किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम लपावली की आराजी ख0न0 1311/0.26, 849/0.16, 886/0.09 कुल किता 3 कुल रकवा 0.51 है0 ख0न0 889/0.10 है0, ख0न0 919/1455/0.29 है0 मे हंसराम पुत्र सुरज्ञान को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर राजहंस पुत्र सुरज्ञान दर्ज किया जावे तथा ख0न0 86/1594/0.01 है0 मे हंसराज पुत्र सुरज्ञान के स्थान पर राजहंस पुत्र सुरज्ञान दर्ज करने के तहसीलदार टोडाभीम को आदेश करने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी [illegible] जवाब तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित [illegible]म [illegible]ली के खाता न0 53, 323, 363 मे हंसराम पुत्र सुरज्ञान एवं खाता न0 18 मे हंसराज [illegible] [illegible] रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख0न0 849 का साबिक न0 457, [illegible] का साबिक न0 462, 889 का साबिक ख0न0 466, ख0न0 1311 का साबिक न0 8[illegible] [illegible] ख0न0 86/1594 का साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

न0 97, ख0न0 919/1455 का साबिक ख0न0 425 से बने है। जमाबन्दी सम्वत 2029—32 के खाता न0 68, 69, 326 मे विरासत नामांतकरण न0 496 से हंसराम पुत्र सुरज्ञान व हंसराज पुत्र सुरज्ञान के नाम से ही नामांतकरण का नोट लगा हुआ है। वादी का राजस्व रिकार्ड मे नाम हंसराम पुत्र सुरज्ञान, हंसराज पुत्र सुरज्ञान है परन्तु मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट व वादी के दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, बैक पासबुक मे राजहंस पुत्र सुरज्ञान है। अतः वादी का नाम हंसराज व हंसराम पुत्र सुरज्ञान से स्थान पर राजहंस पुत्र सुरज्ञान किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी के हंसराम पुत्र सुरज्ञान व हंसराज पुत्र सुरज्ञान दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात मे राजहंस पुत्र सुरज्ञान का अंकन है। इसलिये वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम हंसराम पुत्र सुरज्ञान व हंसराज पुत्र सुरज्ञान के स्थान पर राजहंस पुत्र सुरज्ञान दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे वादी के हंसराम पुत्र सुरज्ञान व हंसराज पुत्र सुरज्ञान दर्ज रिकार्ड है। जो कि नामांतकरण न0 496 से हुआ है, जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात मे राजहंस पुत्र सुरज्ञान का अंकन है। इसलिये वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम हंसराम पुत्र सुरज्ञान व हंसराज पुत्र सुरज्ञान के स्थान पर राजहंस पुत्र सुरज्ञान दर्ज किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम लपावली की जमाबन्दी सम्वत 2073—76 ख0न0 1311/0.26, 849/0.16, 886/0.09 कुल किता 3 कुल रकवा 0.51 है0 मे वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 919/1455/0.29 है0 मे वादी 1/58 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 889/0.10 है0 मे वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 86/1594/0.01 मे वादी 1/33 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043—62 मे हाल ख0न0 849 का साबिक ख0न0 417, हाल ख0न0 886 का साबिक ख0न0 462, हाल ख0न0 889 का साबिक ख0न0 466, हाल ख0न0 1311 का साबिक न0 802 व हाल ख0न0 86/1594 का साबिक ख0 न0 97, हाल ख0न0 919/1455 का साबिक ख0न0 425 से बनना साबित है। जमाबन्दी सम्वत 2029—32 के खाता न0 68, 69, 326 मे विरासत नामांतकरण न0 496 से हंसराम पुत्र सुरज्ञान व हंसराज पुत्र सुरज्ञान के नाम से ही नामांतकरण का नोट लगा हुआ है। पत्रावली मे शामिल निर्वाचक नामावली 2021, आधार कार्ड न0 4575 1706 9514, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया के खाता न0 35156011142 मे राजहंस पुत्र सुरज्ञान का अंकन है। इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट व बहस मे नाम दुरूस्ती करने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन अनुसार वादी का दावा इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम लपावली की आराजी ख0न0 1311/0.26, 849/0.16, 886/0.09 कुल किता 3 कुल रकवा 0.51 है0,ख0न0 919/1455/0.29 है0, ख0न0 889/0.10 है0 मे वादी का नाम हंसराम पुत्र सुरज्ञान के स्थान पर राजहंस पुत्र सुरज्ञान तथा ख0न0 86/1594/0.01 मे वादी का नाम हंसराज पुत्र सुरज्ञान के स्थान पर राजहंस पुत्र सुरज्ञान दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:53 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner